

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय,
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक- 21-6-2016

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के शेष माह में व्यय के लिए बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ- 00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0-33, (विपत्र कोड-N2070001150003) के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में कुल ₹ 1,27,07,000/- (एक करोड़ सत्ताईस लाख सात हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ- 00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0-33, (विपत्र कोड-N2070001150003) के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में कुल ₹ 1,27,07,000/- (एक करोड़ सत्ताईस लाख सात हजार रुपये) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि0 17 अप्रैल 1998 एवं 4572 दिनांक 03.06.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
5. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
9. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
10. जिन पदों के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियमानुसार नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जायेगा।
11. मासिक व्यय विवरणी एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से विभाग को अवश्य उपलब्ध करायी जाय।
12. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।

13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन



(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय,
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक-

2016

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के शेष माह में व्यय के लिए बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ- 00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0-33, (विपत्र कोड-N2070001150003) के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में कुल ₹ 1,27,07,000/- (एक करोड़ सत्ताईस लाख सात हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ- 00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0-33, (विपत्र कोड-N2070001150003) के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में कुल ₹ 1,27,07,000/- (एक करोड़ सत्ताईस लाख सात हजार रुपये) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि0 17 अप्रैल 1998 एवं 4572 दिनांक 03.06.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
5. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
9. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
10. जिन पदों के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियमानुसार नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जायेगा।
11. मासिक व्यय विवरणी एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से विभाग को अवश्य उपलब्ध करायी जाय।
12. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।

13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(दयानिधान पाण्डेय)

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक- 21-6-2016

ज्ञापक-5/बजट 1-06/2016 सा0-.....17..... /

प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिए (बजट शीर्ष 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 115
अतिथि गृह सरकारी होस्टल आदि 0003 सर्किट भवन) आवंटन

क्र० सं०	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग-वेतन एवं भत्ते
	कूट संख्या -	01 01	01 03	01 04	01 06	01 07	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पटना	2,50,000	3,00,000	20,000	20,000	20,000	6,10,000
2	भोजपुर	2,75,000	3,50,000	35,000	20,000	20,000	7,00,000
3	बक्सर	0	0	0	0	0	0
4	कैमूर(भमुआ)	0	0	0	0	0	0
5	औरंगाबाद	2,50,000	3,00,000	20,000	20,000	20,000	6,10,000
6	मुजफ्फरपुर	1,50,000	1,80,000	20,000	20,000	20,000	3,90,000
7	सीतामढ़ी	0	0	0	0	0	0
8	पूंचम्पारण	1,50,000	1,80,000	20,000	20,000	20,000	3,90,000
9	पडचम्पारण	2,50,000	3,00,000	20,000	20,000	20,000	6,10,000
10	शिवहर	0	0	0	0	0	0
11	वैशाली	1,50,000	1,80,000	20,000	20,000	20,000	3,90,000
12	दरभंगा	2,50,000	3,00,000	20,000	20,000	20,000	6,10,000
13	मधुबनी	5,00,000	6,00,000	60,000	30,000	10,000	12,00,000
14	समस्तीपुर	3,00,000	3,60,000	20,000	20,000	20,000	7,20,000
15	सारण	2,50,000	3,00,000	20,000	20,000	20,000	6,10,000
16	सिवान	0	0	0	0	0	0
17	गोपालगंज	0	0	0	0	0	0
18	भागलपुर	1,50,000	1,80,000	20,000	20,000	20,000	3,90,000
19	बांका	0	0	0	0	0	0
20	मुंगेर	80,000	80,000	10,000	10,000	10,000	1,90,000
21	लखीसराय	0	0	0	0	0	0
22	जमुई	1,50,000	2,00,000	15,000	15,000	15,000	3,95,000
23	खगड़िया	0	0	0	0	0	0
24	बेगूसराय	2,50,000	2,50,000	20,000	20,000	20,000	5,60,000
25	पूर्णिया	80,000	1,00,000	20,000	10,000	10,000	2,20,000
26	कटिहार	0	0	0	0	0	0
27	अररिया	0	0	0	0	0	0
28	किशनगंज	0	0	0	0	0	0
29	सहरसा	80,000	1,00,000	20,000	10,000	10,000	2,20,000
30	मधेपुरा	0	0	0	0	0	0
31	सुपौल	0	0	0	0	0	0
32	रोहतास	0	0	0	0	0	0
33	नालन्दा	0	0	0	0	0	0
34	गया	3,00,000	3,60,000	20,000	20,000	20,000	7,20,000
35	नवादा	0	0	0	0	0	0
36	जहानाबाद	2,50,000	3,00,000	20,000	20,000	20,000	6,10,000
37	अरवल	1,50,000	1,80,000	20,000	20,000	20,000	3,90,000
38	शेखपुरा	0	0	0	0	0	0
	कुल योग -	42,65,000	51,00,000	4,40,000	3,75,000	3,55,000	105,35,000

contd....

वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिए (बजट शीर्ष 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं
115 अतिथि गृह सरकारी होस्टल आदि 0003 सर्किट भवन) आवंटन

क्र० सं०	जिला का नाम	कार्यालय व्यय	दूरभाष	विद्युत प्रभार	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	कुल
	कूट संख्या -	13 01	13 03	13 04	28 01	
1	2	9	11	12	14	15
1	पटना	0	0	0	0	6,10,000
2	भोजपुर	0	0	0	0	7,00,000
3	बक्सर	0	0	0	0	0
4	कैमूर(भभुआ)	0	0	0	0	0
5	औरंगाबाद	0	0	0	0	6,10,000
6	मुजफ्फरपुर	0	0	0	0	3,90,000
7	सीतामढ़ी	0	0	0	0	0
8	पूंचम्पारण	0	0	0	0	3,90,000
9	प०चम्पारण	0	0	0	0	6,10,000
10	शिवहर	0	0	0	0	0
11	वैशाली	0	0	0	0	3,90,000
12	दरभंगा	0	0	0	0	6,10,000
13	मधुबनी	0	0	0	0	12,00,000
14	समस्तीपुर	0	0	0	0	7,20,000
15	सारण	0	0	0	0	6,10,000
16	सिवान	0	0	0	0	0
17	गोपालगंज	0	0	0	0	0
18	भागलपुर	0	0	0	0	3,90,000
19	बाँका	0	0	0	0	0
20	मुंगेर	0	0	0	0	1,90,000
21	लक्खीसराय	0	0	0	0	0
22	जमुई	0	0	0	0	3,95,000
23	खगड़िया	0	0	0	0	0
24	बेगूसराय	0	0	0	0	5,60,000
25	पूणियां	0	0	0	0	2,20,000
26	कटिहार	0	0	0	0	0
27	अररिया	0	0	0	0	0
28	किशनगंज	0	0	0	0	0
29	सहरसा	0	0	0	0	2,20,000
30	मधेपुरा	0	0	0	0	0
31	सुपौल	0	0	0	0	0
32	रोहतास	15,000	3,000	30,000	0	48,000
33	नालन्दा	15,000	3,000	15,00,000	50,000	15,68,000
34	गया	15,000	0	30,000	50,000	8,15,000
35	नवादा	15,000	0	1,50,000	50,000	2,15,000
36	जहानाबाद	15,000	0	15,000	50,000	6,90,000
37	अरवल	15,000	3,000	15,000	50,000	4,73,000
38	शेखपुरा	15,000	3,000	15,000	50,000	83,000
	कुल योग -	1,05,000	12,000	17,55,000	3,00,000	127,07,000

(एक करोड़ सत्ताईस लाख सात हजार रुपये) मात्र।

सरकार के अपर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग